हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 29-9-25 को पेश हो।	
9. 25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पुर्व मे सुनी। वादीवादी गण का दावा अ. धा. 88-R.T.A का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्याः— 32 / 2018

1. भोजराज आत्मज उगमा जी बलाई निवासी तीखी का खेडा तह0 बेगूँ
2. रूकमाबाई उर्फ रूकमणीबाई पत्नी उगमा जी बलाई निवासी तीखी का खेडा तहसील बेगूँ

वादीगण

विरूद्ध

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा कलेक्टर सा0 चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार राज.सरकार

निर्णय दिनांक :—

निर्णय वादपत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम तीखी का खेडा प0स0 सामरिया कला में स्थित आराजी नम्बर 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 87 एवं 89 कुल किता 10 रकबा 2.8980 हैक्टर में वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। वादीगण स्वर्गीय उगमा जी की विधवा पत्नी एवं गौदपुत्र है। श्री उगमा जी के स्वर्गवास के पश्चात उनकी पत्नी वादी संख्या 2 रूकमाबाई व अवयस्क पुत्र लादू उनके उत्तराधिकारी बने एवं श्री लादू जी अवयस्क उम्र में ही शांत हो गया जिससे वादी संख्या 2 रूकमाबाई ने अपने जेष्ट (पति के बडे भाई) श्री मागू जी के पुत्र भोजराज को गोद ले लिया जिससे स्व0 उगमा जी के दो उत्तराधिकारी वादीगण बने।

यह कि राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही एवं भूल से उगमा जी के देहावसान के पश्चात उनका ईन्तकाल स्व0 लादू अवयस्क के नाम फैसल किया एवं उनके सरपरस्त भी मांगू जी को बता दिया जो गलत था जिससे बाद में इसमें सुधार कर भोजा पिता लादू व रूकमा बेवा लादू अंकित किया एवं भोजा के अवयस्क होने से उसकी गोद माता रूकमणी को सरपरस्त अंकित किया। इस प्रकार वर्तमान रेकार्ड में भोजा पिता लादू व रूकमणी पत्नी लादू अंकित है जो भी पूर्णतया गलत है।

यह कि वास्तव में रूकमणी उर्फ रूकमा जी पत्नी स्व0 अगमा जी एवं भोजा पुत्र स्वर्गीय उगमा जी अंकित होना चाहिए क्यो कि लादू तो अवयस्क एवं अविवाहित ही शांत हो गया था जिससे रूकमा ने भोजा गो गौद रखा जिससे भोजा उगमा जी का ही पुत्र हुआ। इस प्रकार लादू को पिता के नाम गलत अंकित किया गया है। इसी प्रकार श्रीती रूकमा उर्फ रूकमणी स्व0 उगमा जी की पत्नी है। लादू तो उसका स्वर्गीय पुत्र है जिससे रूकमा को लादू की पत्नी अंकित करना भी गलत है।

यह कि उपरोक्त अनुसार वर्तमान रेकार्ड में सुधार किया जाकर खाता संख्या 37 ग्राम तीखी का खेडा तह0 बेगूँ में उपरोक्त वर्णित आराजीयात में भोजा पिता लादू व रूकमणी बेवा लादू के बजाय भोजा पिता उगमा व रूकमणी उर्फ रूकमा पत्नी स्व. उगमा अंकित कराने व ये ही नाम सही होने की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है क्यो कि यह अंकन मात्र राजस्व कर्मचारियो की भूल का परिणाम है।

यह कि वादीगण ने उपरोक्त अनुसार रेकार्ड में सुधार करने हेतु प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत दिनांक 4.1.2018 को पंजीकृत सूचना पत्र दिया जिस के दो माह की अवधी गुजर जाने के पश्चात भी न तो कोई सुधार किया गया और न ही कोई उत्तर दिया गया जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वद बिनाय दिनांक 21.12.2017 से शुरू होती है जबकि वादीगण को राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर इस भूल की जानकारी हुई एवं बाद में नोटिस की दिनांक 4.1.2018 से शुरू होती है जो प्रतिदिन हो रही हैं। ग्राम तीखी का खेडा तह0 बेगूँ में स्थित है और पक्षकार भी यही के निवासी है एवं काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा हेतू यह वाद होने से समायत न्यायालय आप है।

वादीगण की प्रार्थना है कि :—

ए— पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा तीखी का खेडा तह0 बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 37 में अंकित आराजी नम्बर 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 87 एवं 89 कुल किता 10 रकबा 2.8980 हैक्टर मे भोजा पिता लादू के बजाए भोजराज पिता उगमा एवं रूकमीण

दू के बजाए रूकमणी बेवा उगमा होने की घोषणा की जाकर रेकार्ड में इसी अनुसार सुधार किये ो डिक्री प्रदान की जावें।

खर्चा मुकद्मा वप्रतिवादीण्गा से दिलवाया जावें।

अन्य दाद जो मुफीद वादी हो दिलवाई जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर ावादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2की ओर से दावा पत्रावली में भूमिधारी हसीलदार न्यायालय में उपस्थित आए तथा वादपत्र के जवाब हेतु अवसर चाहा गया। वादपत्र का जवाब ावा प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र की कलम संख्या 1 को रिकोर्ड अनुसार सही होना स्वीकार किया है तथा कलम संख्या 2 के लिए वादी स्वयं सिद्ध करें अंकित किया है । तथा कलम संख्या 3 का प्रत्युतर इस प्रकार प्रस्तुत किया कि सम्बन्धित नामान्तरण की अपील कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। कलम संख्या 4 में गोदनामा प्रस्तुत नही है । साक्ष्य के अभाव में निरस्त योग्य है।

जवाब दावा में कलम संख्या 5 से लगायत 13 तक कानूनी होना अंकित करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन यिका कि नामान्तरण संख्या 2 की अपील कर वादी अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विन्दुवार जवाब दावा प्रस्तुत किया है।

जवाब दावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया कि वादी पक्ष वादीगण विरूंद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित करा पाने के अधिकारी हे कि मौजा तीखी का खेडा तह0 बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 37 में अंकित आराजी नम्बर 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 87 एवं 89 कुल किता 10 रकबा 2.8980 हैक्टर में भोजा पिता लादू के बाजय भोजराज पिता उगमा एवं रूकमणी बेवा लादू के बजाए रूकमणी बेवा उगमा होने की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी है? .....जिम्मे वादी

2– आया कि वादी द्वारा गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अीााव में वादी का वाद पत्र निरस्त होने योग्य है तथा वादी नामान्तरण संख्या 2 की अपील कर वादी अनुतोष प्राप्त कर सकता था। वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है?

3– दादरसी ?

दावा पत्रावली में साक्ष्य वादीगण हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी भोजराज पिता उगमा बलाई, वादीया रूकमाबाई उर्फ रूकमणी बाई पत्नी उगमा बलाई, गवाह बरदा पिता मांगीलाल बलाई, कजोड पिता हरलाल कुम्हार के प्रस्तुत किए गये। वादी भोजराज द्वारा मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा जिरह वादी निल रही तथा पुनः परीक्षण नील रही है। पत्रावली में प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण की बंद की गई। पत्रावली मे साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के अनुसार ही अपनी बहस को निवेदन करते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर मौजा तीखी का खेडा की आराजी संख्या 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 87 एवं 89 कुल किता 10 रकबा 2.8980 हैक्टर भूमि भोजा पिता लादू के बजाए भोजराज पिता उगमा एवं रूकमणी बेवा लादू के बजाए रूकमणी बेवा उगमा होने की घोषणा राजस्व रेकार्ड में किए जाने का निवेदन बहस में किया गया। पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में कायम की गई तनकी का निर्णय दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के गुणावगुण के आधार पर तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा तीखी का खेडा प.ह. सामरियाकलां खाता संख्या 37 में अंकित आराजी संख्या 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 87 एवं 89 कुल किता 10 रकबा 2.8980 हैक्टर भूमि श्री भोजा बरदा जमा कैलाश पिता मागूमोत्या पत्नी मांगू 1/2 भोजा पिता लादू रूकमणी पत्नी लादू 1/2 बलाई सा.देह खातेदार रहन भोजा बरदा कैलाश पिता मांगु मौतया जमनालाल का हिस्सा। अंकित है, यह जमाबंदी पत्रावली में प्रदर्श–1 है। यहॉ यह वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि भोजा जो कि मांगू के पुत्र है को यदि उगमा के गोद रखा गया है तथा उनका मांगू की कृषि भूमि में एवं उगमा की कृषि में यानि दो जगह हिस्सा किस आधार पर मिल सकता है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श– 2 नकल नामान्तरण संख्या 2 की है जो कि विरासत से खोला

या नामान्तरण है, यह नामान्तरण गोकल पिता गोपाल बलाई के फोत होने पर श्री मांगु पिता गोकल व लादू पिता उगमा के नाम पर खोला गया है। इस नामान्तरण से स्पष्ट होता है कि गोकल पिता गोपाल के दो पुत्र कमशः मांगु व उगमा थे जिसमें उगमा के उत्तराधिकारी लादू का नाम इस नामान्तरण में दर्ज किया गया है। वादीगण द्वारा यह तथ्य स्पष्ट नही किया गया है कि उगमा के पूर्व गोदपुत्र की मृत्यु किस तारीख को हुई थी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र का अभाव पत्रावली मे पाया जाता है साथ ही यदि उगमा के भाई मांगू के पुत्र भोजा को गोद रखा गया था तो उसका गोदनामा या सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समस्त जाती बिन्दुओं समक्ष गोद रखे जाने का विवरण जो कि सामाजिक रिती अनुसार भाट पानडी में अंकित किया जाता है उसका कोई साक्ष्य सबूत इस पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श–4 नकल नामान्तरण संख्या 66 जो कि विरासत लादू की कार्यवाही का नामान्तरण खोला गया है वह श्री मांगू पिता गोकल , भोजा पिता लादू के एवं रूकमणी बेवा लादू के नाम खोला गया है जिसमें भोजा को नाबालिग अंकित किया होकर बविलायत माता रूकमणी अंकित है।

प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 66 जो कि लादू की मृत्यु के पश्चात भोजा पिता लादू के नाम से खोला गया है यहॉ यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि जब लादू अव्यस्क अविवाहित ही फोत हो गया तो उन्हें भोजा को गादे रखने का अधिकार कहा से प्राप्त हुआ क्यो कि अव्यस्क द्वारा किसी को भी गोद रखने का प्रावधान नहीं है। तथा जब उगमा द्वारा भोजा को गोद रखा ही नहीं गया तो किस आधार पर राजस्व रेकार्ड में भोजा पुत्र उगमा किया जा सकता है। प्रदर्श–4 वादीगण अधिवक्ता द्वारा दफा 80 जा.दी. का नोटिस राज्य सरकार को दिया गया उसकी प्रति तथा नोटिस भेजने की रसीद प्रदर्श–5 है, प्रदर्श–6 व 7 भी है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 पोस्ट आफिस द्वारा दी गई रसीद है। प्रदर्श–10 आधार कार्ड भोजराज का है जिसमें भोजराज पिता उगमा का नाम अंकित है।इसी प्रकार प्रदर्श–11 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्ड जो कि भोजराज पिता उगमा के नाम से बनाया गया है। प्रदर्श–12 भोजराज पिता उगमा बलाई के परिवार का राशन कार्ड है। प्रदर्श–13 रूकमाबाई पत्नी उगमा का अधार कार्ड है तथा प्रदर्श–14 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्ड जो कि रूकमाबाई पत्नी उगमा बलाई के नाम पर है। प्रदर्श–15 भामाशाह कार्ड का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

सभी दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उगमा जिन्होने लादू को गोद कब लिया तथा लादू जो कि अव्यस्क अविवाहित ही फोत हो गया तो उनको भोजा को गोद लेने का अधिकार कहा से प्राप्त हुआ है यदि यह मामला केवल नाम शुद्धि कराने का ही है तो वादी भोजराज किस नियम से अपने प्राकृतिक पिता मांगू की कृषि भूमि में अधिकार रखते है तथा किस नियम से अपने गोद पिता उगमा की कृषि भूमि में अधिकार रखते है यानि एक ही व्यक्ति द्वारा दो जगह की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस दावा पत्रावली में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो कि यह सिद्ध कर सके कि भोजराज को गोद रखा गया है, पत्रावली में कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार सभी दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद पत्र सिद्ध नहीं होता है। तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पैरोकार सरकार का है, पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा केवल अपना जवाब दावा ही प्रस्तुत किया है , कोई साक्ष्य अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु पत्रावली में तनकी नम्बर 1 जो कि वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर यह तनकी नम्बर 2 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी को वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने मे पूर्णतया असफल रहे है जिससे वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तोवजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ